संख्या-38/2026/133/60-1-2026-सी-1708458

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 17 अगस्त, **2026**

विषय:- निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राप्त मदर सेंक्शन के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् निदेशालय के पत्र संख्या-360/निदे0म0क0/लेखा-बजट/2026-27, दिनांक 11.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से प्राप्त Mother Sanction की धनराशियों का उपभोग किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49, 81 एवं 83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) इन्दिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 1,90,07,87,000/- (रूपये एक अरब नब्बे करोड़ सात लाख सत्तासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक **28.03.2026** एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशालय, महिला कल्याण यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अतएव इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशालय, महिला स्वयं संतुष्ट हो लेगा।

(9) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(10) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः SNA स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2235021030109 (इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 के)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 049 | 2235021030109<br>इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 के | 63<br>सामाजिक पेंशन | 1,38,08,15,000<br>(रुपये एक अरब अड़तीस करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) |
| | कुल | | | 1,38,08,15,000<br>(रुपये एक अरब अड़तीस करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) |

लेखाशीर्ष: 2235027890109 (इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 2235027890109<br>इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र | 63<br>सामाजिक पेंशन | 50,94,68,000<br>(रुपये पचास करोड़ चौरानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) |
| | कुल | | | 50,94,68,000<br>(रुपये पचास करोड़ चौरानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) |

लेखाशीर्ष: 2235027960109 (इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | 2235027960109<br>इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र | 63<br>सामाजिक पेंशन | 1,05,04,000<br>(रुपये एक करोड़ पाँच लाख चार हजार मात्र) |
| | कुल | | | 1,05,04,000<br>(रुपये एक करोड़ पाँच लाख चार हजार मात्र) |
| महायोग | | 1,90,07,87,000<br>(रुपये एक अरब नब्बे करोड़ सात लाख सत्तासी हजार मात्र) | | |

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-102-X-2026-27, दिनांक 17.08.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारीवरिष्ठ/, संबंधित साइबर कोषागार।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।